न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–531 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–342 / 2025
अंतर्गत धारा–127(1), 115(2), 118(1), 109, 74, 351(2). 3(5) बीएनएस

05.08.2026 याचिकाकर्ताओं–1. मंटु कुमार 2. संटु पासवान 3. आकाश कुमार एवं 4. शिवजी पासवान उर्फ गब्बर की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–25.05.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–127(1), 115(2), 118(1), 109, 74, 351(2). 3(5) बीएनएस से संबंधित सालिमपुर थाना कांड संख्या–342 / 2025, दिनांक–29.11.2025, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदकों की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकों का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है, इनके विरूद्ध बीएनएस की धारा–109(1) एवं 74 आकर्षित नहीं होता है, ये मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। सभी जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है। उभयपक्षों के बीच सुलह हो गया है और सुलहनामा अभिलेख के साथ संलग्न है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया परंतु इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि, उभयपक्षों के बीच संधि हो गई है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड की सूचिका–शोभा देवी हैं, जिनका कहना है कि, धीरज पासवान, शिवाजी पासवान, आकाश कुमार, विकास कुमार, मंटू कुमार, सोनी पासवान, संटू पासवान एवं कुंदन पासवान दिनांक–28.11.2025 को समय करीब शाम 05.30 बजे उसके बेटे–रॉकी कुमार जब घर का समान लाने दुकान गया था, तभी इन लोगों ने उसके साथ रड एवं लाठी से मार–पीट करने लगा। जिससे कि, उसका सिर फूट गया और वह, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब, रॉकी कुमार को बचाने के लिए कमलेश पासवान आए तो उनके साथ भी लाठी और रड से मारा, जिससे कि, वह घायल हो गए। घटना का कारण यह है कि, पूर्व में ये सभी लोग एक गांव की शादी में महिलाओं के साथ छेड़खानी किए थे, जिसको सूचिका के लड़के ने ऐसा करने से मना किया था।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–5 में वादिनी का पुनः, ब्यान है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार, कंडिका–6 में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–531 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–342 / 2025
अंतर्गत धारा–127(1), 115(2), 118(1), 109, 74, 351(2). 3(5) बीएनएस

लगातार

05.08.2026

साक्षी–चंद्रकांत पासवान एवं कंडिका–7 में साक्षी–लाल बाबू पासवान का ब्यान है, जिसमें इन लोगों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–54 के अनुसार, आवेदकों का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है। उभयपक्षों के बीच संधि हो गई है, संधि–सह–अनुमति पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है, जिस पर उभयपक्षों का हस्ताक्षर है। आवेदकों के विरूद्ध बीएनएस की धारा–74 के अंतर्गत आरोप आकर्षित नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा जख्म की प्रकृति और संयुक्त संधि–पत्र को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. मंटु कुमार 2. संटु पासवान 3. आकाश कुमार एवं 4. शिवजी पासवान उर्फ गब्बर को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदकगण के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़